न्यायालय श्रीमान जिला मजि. नागौर
ग्यारसी देवी v/s भोमाराम वगै०
प्रार्थना पत्र सं. 190/2022
GCMS No.- 2022/90

महोदय,

1. प्रकरण न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का नहीं है। धारा 97 सी.आर.पी.सी. के आवेदन पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट को है। जिले में उक्त धारा के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में सुनवाई संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा ही की जा रही है।
2. वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र व मूल शपथ पत्र वकील प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाये जाने बाबत अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर) 28/2/22
रीडर,
कोर्ट अनुभाग

3. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,

(हस्ताक्षर) 28/2

महोदय,

4. निवेदन है कि उपर्युक्त आदेश के सन्दर्भ में वकील प्रार्थी को उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्राप्त करने हेतु उक्त आदेश का दिनांक 28.2.22 को अवलोकन करवाकर नोटेड करने हेतु कहा गया, परन्तु वकील प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश व प्रार्थना पत्र शपथ पत्र की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र पेश करने का कह कर चले गये। तत्पश्चात उनको पुनः उनके मोबाईल नं. [illegible] पर पुनः सूचित किया गया। [illegible] प्रार्थी द्वारा आदेश की प्रति [illegible] शपथ पत्र प्राप्त [illegible] कार्यवाही [illegible] जा रही है। [illegible] प्रस्तुत है। (हस्ताक्षर) [illegible]
रीडर

5. श्रीमान कलक्टर महोदय,

(हस्ताक्षर)

256 दिनांक 21.3.22 Issued letter

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2022.06.24 10:51:27 IST
Reason: SelfAttested